न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 04/2022 जिला भीलवाड़ा

1. नाथू लाल पुत्र श्री शोभालाल मृतक जरिये वारिसान
1/1. लादी देवी पत्नि स्व0 नाथूलाल
1/2. पूजा पुत्री स्व0 नाथूलाल
1/3. किरण पुत्री स्व0 नाथूलाल नाबालिक
1/4. दीपक पुत्र स्व0 नाथूलाल नाबालिक
1/5. गजेन्द्र पुत्र स्व0 नाथूलाल नाबालिक
2. पुखराज पुत्र श्री शोभालाल
3. श्रमती दुर्गा सेन पुत्री श्री शोभालाल

समस्त जाति सेन(नाई) निवासी पाटन तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांटस

बनाम्

1. गणपत पुत्र भज्जा
2. पूरण पुत्र भज्जी
3. सीता पुत्री भज्जा
4. बदामी पत्नि भज्जा
5. पारस पुत्र हंगामा
6. गीता पत्नि हंगामा मृतक
7. कृष्णगोपाल पुत्र कुन्दनमल

समस्त जाति नाई निवासी पाटन तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा।

8. श्रीमान तहसीलदार बदनोर तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला अति0 कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा दिनांक 08.11.2021 अन्तर्गत अपील संख्या 23/2016 बउनवानी नाथूलाल बनाम गणपत वगैरह।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री विरेन्द्र पंवार(अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट :—1 से 5 अनुपस्थित
रेस्पोडेंट संख्या 6 अभिभाषकः— श्री कौशलसिंह(उपस्थित)
राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः—13.01.2023

वर्तमान अपील प्रकरण संख्या 23/2016 निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 08.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपने निर्णय में अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा नायब तहसीलदार बदनोर द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या 1651 दिनांक 30.05.2016 को यथावत रखने का निर्णय पारित किया गया था क्योंकि उक्त नामातंरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया था तथा अपने निर्णय में उन्होने यह भी जिक्र किया था कि गोदनामे का निर्णय सिविल कोर्ट द्वारा किया जाना है रेवन्यू कोर्ट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: SelfAttested

नहीं। अपीलांट के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 2874 रकबा 0.23 हे0 ग्राम पाटन तहसील बदनोर में अपीलांट व रेस्पोडेंट के नाम सहं–खातेदारी की आराजीयात है। इसके मूल खातेदार भोलाराम व तेजाराम होकर आधा–आधा हिस्से के हिस्सेदार थे। भोलाराम के कोई संतान नहीं होने से भोलाराम ने तेजाराम के पुत्र शोभाराम को अपना गोदपुत्र रखा था। जो कि बड़वा जी की पोथी में दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकोर्ड में सारी भूमि गलत रूप में तेजाराम के नाम हो गई और फिर तेजाराम से उनके पुत्रो के नाम बराबर हिस्सो में 1/3–1/3 दर्ज हो गई। लेकिन विवादित भूमि मौके पर 1/2 शोभाराम के कब्जे में एवं 1/4–1/4 तेजाराम के अन्य लड़के भज्जा व हंगामा के कब्जेकाश्त थी। इस प्रकार विवादित आराजी पर अपीलांट का 1/2 हिस्से पर निरविवाद कब्जा चला आ रहा है। लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने भूमि में अपने आराजीयात का बेचान बिना कब्जे के ही रेस्पोडेंट संख्या 7 कृष्णगोपाल को कर दिया तथा नायब तहसीलदार बदनोर ने बिना कब्जे की जांच किये ही नामातंरण संख्या 1651 दिनांक 30.05.2016 रेस्पोडेंट संख्या 7 कृष्णगोपाल के नाम दर्ज कर दी। इसकी अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की थी। जिसे इन्होने अपने निर्णय दिनांक 08.11.2021 को रजिस्टर्ड दस्तावेज का हवाला देते हुए अपील को खारिज कर दिया। वर्तमान अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय के विरूद्ध निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है–

1. शोभालाल का गोदनामें के आधार पर विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्सा था तथा इसकी मृत्यु के पश्चात वारिसान का 1/2 हिस्सा होगा। मगर रेस्पोडेंट 1 से 6 के द्वारा हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय किया गया।

2. क्रेता को सम्पूर्ण भूमि का कब्जा नहीं सौपा गया।

3. शोभाराम को सन् 1940 में भोलाराम ने गोद लिया था और भोलाराम के हिस्से की भूमि पर शोभाराम काबिजकाश्त है। ऐसा कृष्णगोपाल के शपथ पत्र दिनांक 13.03.2020 से स्पष्ट है जो कि एक अन्य क्रेता है।

4. सिविल प्रकरण 39/2016 में मौका कमिशनर रिपोर्ट दिनांक 06.09.2017 के अनुसार भोलाराम के हिस्से की भूमि पर अपीलांट का कब्जा बताया है।

5. सिविल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण 39/2016 में पुखराज पुत्र शोभालाल ,दुर्गा पुत्री शोभालाल, स्वतंत्र गवाह लादूलाल पुत्र बालू लुहार, लादूलाल पुत्र नानूराम राव के बयानों से विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा भोलाराम के पास तथा बाद में शोभाराम के पास होना बताया तथा किया गया बेचान अवैधानिक है।

6. भोलाराम को हिन्दु दत्तक व भरण–पोषण अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से ही गोद ले लिया गया था। शोभाराम को सामाजिक रीति रिवाज से गोद लिया गया जो बड़वा की पोथी में दर्ज है। मगर नामातंरण दर्ज नही होने मात्र से शोभालाल को उनके पिता की भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर भी नामातंरण निरस्त नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 6 गीता पत्नि हंगामा का देहांत हो चुका था। मगर फिर भी मृतक को पक्षकार रखते हुए निर्णय पारित किया गया जो गलत है।

7. बिना कब्जे के नामातंरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आरआरडी 1995 पेज 141 पर प्रतिपादित किया गया है। अपील स्वीकार की जाये। एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय तथा नामातंरण संख्या खारिज किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: Self Attested

अपील के साथ अपीलांट द्वारा तथा नियम 30 रेवन्यू कोर्ट प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 7 ने बिना कब्जे के ही विवादित आराजी में स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया है। जिसकी आड़ में वह भूमि को खुर्द बुर्द करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने को आमादा है। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जायें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 30 रेवन्यू कोर्ट मैन्युअल के अनुसार नामातंरण संख्या 1651 दिनांक 30.05.2021 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। मगर नकल अभी प्राप्त नहीं हुई है। तब तक नामातंरण की फोटोप्रति प्रस्तुत की जा रही है। अतः उक्त नामातंरण की फोटोप्रति पत्रावली पर ली जायें।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 6 गीता पत्नि हंगामा की मृत्यु होने से उनका नाम तर्क किया गया।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सिविल न्यायाधीश द्वारा पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2016 निरस्त किया जाने से अपील को स्वीकार किया जाये। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार सिविल न्यायाधीश आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 34/2016 बउनवानी नाथूलाल बनाम गणपत दिनांक 17.11.2022 को स्वीकार कर कृष्णगोपाल पुत्र कुन्दनमल के पक्ष में निष्पादित दोनो पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2016 को निरस्त कर दिया। ऐसे में उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामातंरण निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 एवं नायब तहसीलदार तहसीलदार बदनोर द्वार रेस्पोडेंट संख्या 7 कृष्णगोपाल पुत्र कुन्दनमल के पक्ष में पारित नामातंरण संख्या 1651 दिनांक 30.05.2016 निरस्त किया जायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 30 रेवन्यु कोर्ट मेन्यूअल का अवलोकन किया गया। क्योकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित नामातंरण की प्रमाणित प्रतिलिपी हेतु आवेदन पत्र दिया जा चुका है जो उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस बाबत अपीलांटगण के द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 30 रेवन्यू कोर्ट मेन्युअल स्वीकार करते हुए विवादित नामातंरण की फोटोप्रति को पत्रावली पर लिये जाने की छूट प्रदान की जाती है।

सिविल न्यायाधीश आसीन्द द्वारा प्रकरण संख्या 34/2016 में दिये गये निर्णय का अवलोकन किया गया।

नामातंरण संख्या 1651 ग्राम पाटन का अवलोकन किया गया। नामातंरण की कॉलम संख्या 7 में गणपत ,पूरण, सीता पिता भज्जा , बाद [illegible] भज्जा 1/3 पारस पिता हंगामा , गीता पत्नि हंगामा 1/3 नाई बाकी बदस्तुर दर्ज [illegible] नामातंरण के कॉलम नम्बर 9 में कृष्णगोपाल पुत्र कुन्दनमल, कॉलम नम्बर 3 में विवादित खसरा नम्बर 2865,2866,2867,2881, कॉलम नम्बर 4 में रकबा 0.30 हे0 अंकित किया हुआ है। कॉलम नम्बर 10 में किता 4 अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: Self Attested

स्पष्ट है कि विक्रेताओं(रेस्पोडेंट 1 से 6) के द्वारा 2/3 सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 7 को विक्रय किया है। सिविल न्यायाधीश आसीन्द द्वारा शोभालाल को भोलाराम के गोद जाना माना है तथा यह भी माना है कि भोलाराम की मृत्यु के पश्चात भोलाराम के समस्त अधिकार अपीलांट के पिता शोभाराम में स्वर्जित हो गये और वादग्रस्त आराजी में भोलाराम का आधा हिस्सा होने से भोलाराम के पश्चात शोभालाल का आधा हिस्सा तथा शोभालाल के बाद उसके वारिसान का आधा हिस्सा माना जायेगा। अपने आदेश में शोभालाल को गोदपुत्र होने के कारण विवादित भूमियों में आधे हिस्से का हकदार माना है तथा विक्रय पत्र से विक्रय की गई सम्पत्ति हो 1/2 हिस्से से ज्यादा है को निरस्त करने का आदेश दिया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.11.2021 प्रकरण संख्या 23/2016 में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज एंट्री व हिस्से के आधार पर विक्रय पत्र को उचित माना था तथा विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामातंरण को भी उनके द्वारा सही माना गया। मगर अपने निर्णय में यह कहा था कि गोदनामें का निर्णय सिविल कोर्ट को करना है रेवन्यू कोर्ट को नहीं। अब चूंकि सिविल न्यायाधीश आसीन्द द्वारा प्रकरण संख्या 34/2016 निर्णय दिनांक 17.11.2022 में शोभाराम को भोलाराम का गोदपुत्र माना है तो उसके वारिसो का भी हिस्सा विवादित भूमि में 1/2 माना जायेगा। ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि रेस्पोडेंट 1 से 6 के द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि को विक्रय किया गया है। जो कि सही नही है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया नामातंरण भी निरस्त योग्य है।

समग्र विवेचन के बाद न्यायालय का यह मानना है कि विवादित भूमि में शोभालाल का हिस्सा 1/2 बनता है तथा उसके वारिसान(अपीलांटगण) का भी हिस्सा 1/2 ही माना जायेगा। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के द्वारा सिविल न्यायाधीश आसीन्द के निर्णय के अनुसरण में हिस्से से ज्यादा का विक्रय करने से विवादित नामातंरण 1651 दिनांक 30.05.2016 भी निरस्ती योग्य है। साथ ही अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा नामातंरण संख्या 1651 दिनांक 30.05.2016 के संदर्भ में किया गया निर्णय प्रकरण संख्या 23/2016 निर्णय दिनांक 08.11.2021 खारिज योग्य है। स्थगन प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलांटगण स्वीकार किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अपील द्वारा अपीलांटगण स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 23/2016 निर्णय दिनांक 08.11.2021 सिविल न्यायाधीश आसीन्द द्वारा प्रकरण संख्या 34/2016 निर्णय दिनांक 17.11.2022 की रोशनी में निरस्त किया जाता है। नामातंरण संख्या 1651 ग्राम पाटन दिनांक 30.05.2016 निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार बदनोर निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:06 IST
Reason: SelfAttested